अपील/ सीलिंग/1169/2003 /श्रीगंगानगर
लखवीरसिंह बनाम राज0 सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	<u>एकल–पीठ</u> **श्री बी.एल.मेहरडा, सदस्य** **<u>उपस्थित :</u>** श्री दिनेश कुमार सैन, अभिभाषक अपीलांट्स के ब्रीफहोल्डर श्री शोकिंदलाल गुर्जं, उप राजकीय अभिभाषक **<u>आदेश</u>** यह अपील राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कृषि भूमि अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 23 (2) व 15(1) के अंतर्गत अतिरिक्त जिला कलेक्टर, प्रशासन श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 20–2–03 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट के विरूद्ध राजस्थान कृषि भूमि अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 15(1) नया कानून के तहत प्राधिकृत अधिकारी रायसिंहनगर ने आदेश दिनांक 30–3–76 को निर्णय पारित करते हुये कम भूमि मानकर कार्यवाहीं समाप्त कर दी। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 5–12–80 के द्वारा प्रकरण राजस्थान कृषि भूमि अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 15(1) के तहत प्रकरण पुनः खोलकर जांच एवं निर्णय हेतु अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर को प्रेषित किया गया। जिस पर अति0 जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर ने अपने निर्णय दिनांक 20–2–03 द्वारा अपीलांट निर्धारती के पास 9.14 बीघा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक होना मानते हुये अधिग्रहण करने के आदेश प्रदान किये। उक्त निर्णय के विरूद्व अपीलांट् द्वारा यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि अतिरिक्त कलेक्टर का निर्णय	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	न्याय, नियम व रिकोर्ड के विपरीत है। निर्धारित तिथि को परिवार एवं भूमि की कानूनी स्थिति सही तरीके से नहीं देखी गई है एव ना ही कानूनी रूपसे भूमि की गणना की गई है। ना ही समस्त अंसिचित भूमि को अलग निकाला गया है, ना ही सिंचाई के घनत्व के प्रतिशत की सही गणना की गई है। अपीलांट के परिवार में 10 सदस्य है उसे सही नहीं मानकर निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट के दो पुत्रियां जिनकी उम्र 19 व 17 वर्ष दिनांक 1–1–73 को थी वह शादीशुदा थी अथवा नहीं, इस तथ्य को साबित करने का भार अपीलांट् पर था। इस बारे में अपीलांट ने कोई साक्ष लिखित एवं मौखिक प्रस्तुत नहीं की। अपीलांट की दोनों पुत्रियों को शादीशुदा मानते हुये परिवार में आठ सदस्यो के आधार पर सीलिंग कार्यवाहीं की गई। अपीलांट् के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं रिपोर्ट तहसीलदार पत्रावली में मौजूद होते हुये उसे नजरअदांज कर परिवार में आठ सदस्य काल्पनिक मानकर निर्णय पारित किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि सिंचाई धनत्व की सही गणना नहीं की गई है एवं धनत्व प्रतिशन सही नहीं बनाया गया। तहसीलदार अनूपगढ के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 13–7–82 में अपीलांट के पास 70 बीधा भूमि होना बताया जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय अपीलांट के पास 95 बीधा भूमि होना मानते हुये किया। राजस्थान कृषि भूमि अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 15(1) के तहत पूर्व में तय किये प्रकरण को मात्र नये एवं महत्वपूर्ण तथ्यों एवं सबूतों की खोज पर नये सिरे से खोजा जा सकता है किंतु मौजूदा प्रकरण में ऐसा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाकर अपील स्वीकार की जावे। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट का बहस में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है। प्राधिकृत अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने अपीलांट के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि होना मानते हुये	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	सरप्लस भूमि को अधिग्रहण करने की कार्यवाहीं की है। जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से अपील खारिज की जावे। अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के साथ प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का सावधानीपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 1–1–73 को अपीलांट के परिवार की संख्या 8 मानते हुये निर्णय पारित किया है, क्योंकि अपीलांट् द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी दो पुत्रियों के शादीशुदा न होने बाबत् किसी प्रकार की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जिससे यह माना जा सके कि उक्त दोनों पुत्रियां दिनांक 1–1–73 को नाबालिग थी। तहसील रिपोर्ट के अलावा अपीलांट लखवीर स्वयं द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 22–3–76 में अपने पास 95 बीघा नहरी भूमि होना स्वीकार किया है। अपीलांट् के परिवार में आठ सदस्य थे एवं न ही उसके परिवार में दिनांक 1–1–73 को कोई बालिग पुत्र था जो सेपरेट यूनिट का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी हो। इस प्रकार अपीलांट 100 प्रतिशत सिंचाई धनत्व वाली पांच सदस्यों के परिवार के लिये 43.04 बीघा भूमि एवं तीन अतिरिक्त सदस्यों के लिये 25.19 बीघा भूमि कुल 69.03 बीधा भूमि धारण करने का अधिकारी था एंव शेष 9.14 बीघा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक होने के कारण अधिग्रहण की गई है। हमारी सुविचारित राय में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट् के परिवार के सदस्यों की सही गणना करते हुये अपने निर्णय में विवादित आराजी के धनत्व प्रतिशत की सही गणना करते हुये निर्णय पारित किया है तथा अपीलांट् के पास 9.14 बीघा भूमि सीलिंग सीमा के अधिक होना मानते हुये अधिग्रहण करने के आदेश दिये है जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि कारित नहीं की गई है। अभिभाषक अपीलार्थी हमारे समक्ष ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत करने में असफल रहे है जिससे अधीनस्थ	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप अपेक्षित हो। अतः अपील खारिज किये जाने योग्य है। परिणामतः हस्तगत् अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाकर पत्रावली बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(बी.एल.मेहरडा)** **सदस्य**	

अपील/ सीलिंग/1169/2003 /श्रीगंगानगर
लखवीरसिंह बनाम राज0 सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए